"Role of MNREGA in Rural Socio-Economics empowerment with Special reference to Sri Ganganagar Panchayat Samiti"

ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक जन सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिकाः श्री गंगानगर पंचायत समिति के संदर्भ में

Name of Scholar
Ram Swaroop Meena
Under Supervision of
Dr Vishal Chhabra
(Professor)
Faculty of Arts Craft & Social Sciences
Tantia University, Sri Ganganagar

सारांश

ग्रामीण विकास भारत के समग्र विकास की आधारशिला है। इस दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान कर सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बना है। श्री गंगानगर पंचायत समिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहित किया। यद्यपि मजदूरी भुगतान में देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी मनरेगा ने ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने और पलायन कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण गरीब पुरूषों एवं स्त्रियों को समर्थ एवं उनके बच्चों को सशक्त बनाकर क्रियाशील सदस्य के रूप में जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम लोगों को आजीविका पाने में सहायता मिलती है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ती है और विकास का लाभ लघु तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीनों, आदि तक पहुँचता है।

विकास परिवर्तन का कारण एवं परिणाम दोनों हैं इनके मध्य दो तरफा सम्बंध है जिसमें परिवर्तन विकास से प्रभावित भी होता है। परिवर्तन में भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत अथवा राजनीतिक परिवर्तन समाविष्ट हैं। ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में बात कि जाये तो, ग्रामीण समाज में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमें ग्रामीण विकास की कल्पना को सच साबित करना है, तो हमें सबसे पहले ग्रामीण समाज में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी कि समस्या के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करने लगें। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार हर पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी और पलायन की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना लेकर आयी।

इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तभी विकसित माना जा सकता है जब उस देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक विकास के लाभ पहुंचे और उनके अपने जीवन स्तर में सुधार हो। गांवों के विकास के सभी लाभों को पहुंचाकर और गांव के लोगों के अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाकर ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न साकार किया जा सकता है। भारत ग्राम प्रधान देश है तथा गांवों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आंकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए

है। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के गरीब परिवारों का आर्थिक स्तर सुधारने और बेहतर जीवन-यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजनाएं संचालित करती है। इस योजना में से एक है मनरेगा योजना। मनरेगा को विश्व बैंक ने 2015 में दुनिया के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है।

भारत का ग्रामीण क्षेत्र सदियों से कृषि पर आधारित रहा है, किंतु बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण जीवन में सामाजिक व आर्थिक असमानता निरंतर बनी रही। इस परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को वर्ष 2005 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य न केवल ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना था, बल्कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना भी था। श्री गंगानगर जिले की पंचायत समितियाँ इस योजना के क्रियान्वयन का महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बीच मनरेगा ने सामाजिक-आर्थिक संरचना को नए आयाम प्रदान किए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

हमारे देश में सूखा, विपदा में पलायन और कुपोषण ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या थी। मनरेगा के पहले ग्रामीण आजीविका रोजगार सुरक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन समस्याओं को दूर करने के लिए लागू किए गए, किन्तु अपने डिजायन और लागू होने की प्रक्रिया के कारण ये योजनाएँ कार्यक्रम की तरह ही रही और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2006 (नरेगा) पारित किया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) कर दिया गया। इस योजना के कार्य की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर करता है। यह एकमात्र ऐसी योजना है जो काम के अधिकार की गारंटी देती है। मनरेगा योजना श्रम तलाशने वालों को यह आदेश देता है कि वे अधिकार के तौर पर अपने लिए काम की मांग करें। भारत सरकार के अनुसार यह योजना काम की गारंटी देने वाली विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना को सरकार ने सामाजिक कार्यों में सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है जिसके कारण इस योजना के कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहता सुनिश्चित होती है

ग्रामीण विकास की अवधारणा

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640867 गांव है तथा देश की कुल आबादी का 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। भारत के विकास के लिए गांवों का विकास होना आवश्यक है। समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाना आवश्यक है। भारत में ग्रामीण विकास की चेतना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास से आशय है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं वंचित असहाय लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाकर आत्मनिर्भर बनाना है ताकि जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो सके जो अपने में आर्थिक और सामाजिक दोनों पक्षों को समाहित करता है। ग्रामीण विकास की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के सभी पक्षों को समेटे हुए हैं। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। संकुचित अर्थ में ग्रामीण विकास का आशय है विविध कार्यक्रमों-कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। व्यापक अर्थ में ग्रामीण विकास का आशय है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन करना। इस प्रकार ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनिश्चित कार्यविधि माना जा सकता है। विश्व बैंक के ग्रामीण विकास क्षेत्र की नीति के अनुसार ग्रामीण विकास एक व्यूह रचना है जो कि एक विशेष समूह गरीब व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनायी जाती है। यह व्यूह रचना ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम व्यक्तियों तक विकास के लाभों को पहुंचने के लिए तैयार की जाती है।

शोध समस्या

ग्रामीण समाज में आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएँ प्रबल रही हैं। यद्यपि मनरेगा रोजगार की गारंटी देता है, परंतु वास्तविकता में इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, संसाधनों का उपयोग, और पंचायत समितियों की क्षमता जैसे प्रश्न उठते रहे हैं। शोध समस्या यह है कि श्री गंगानगर पंचायत समिति में मनरेगा किस प्रकार ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक जन सशक्तिकरण का माध्यम बन पाया है और इसके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ सामने आती हैं

मूल शब्द

लोक कल्याणकारी राज्य, सामूहिक विकास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), लोक निर्माण, यूएनडीपी ।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उदेश्य ग्रामीण विकास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिका को स्पष्ट करना है। मनरेगा किस प्रकार ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को सशक्त बना रहा है। मनरेगा का सबसे बड़ा उदेश्य ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनरेगा किस प्रकार विकास के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के मार्ग के प्रशस्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा रोजगार के अवसर पैदा करके शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कहाँ तक सफल हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने में मनरेगा की क्या भूमिका हो सकती है।

लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य केवल नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन तक सीमित नहीं है. बल्कि यह जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभपहुँचाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। भारत में 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनकी केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित हुई।

श्री गंगानगर पंचायत समिति (राजस्थान) में मनरेगा केवल एक रोजगार गारंटी योजना नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक जनसशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। लोक प्रशासन की दृष्टि से इसका अध्ययन न केवल नीतिगत प्रभाव को समझने के लिए उपयोगी है बल्कि यह भी बताता है कि कैसे प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागी शासन ग्रामीण समाज को सशक्त कर सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इसी लोक प्रशासनिक ढांचे के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य है

1. ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना।
2. गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को कम करना।
3. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
4. ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचना और संपत्तियों का निर्माण।
5 मनरेगा के तहत श्री गंगानगर पंचायत समिति के ग्रामीण समाज में हुए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।
6. पंचायत समितियों की प्रशासनिक भूमिका व भागीदारी का विश्लेषण करना।
7. महिला सशक्तिकरण एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी का मूल्यांकन करना।
8. मनरेगा की सफलताओं व सीमाओं को उजागर करना।
9 भविष्य में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

- यह शोध सैद्धांतिक स्वरूप का है, जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है।
- प्राथमिक स्रोतः पंचायत समिति अधिकारियों, ग्राम रोजगार सहायकों, जन प्रतिनिधियों तथा लाभार्थी मजदूरों से साक्षात्कार।

- द्वितीयक स्रोतः सरकारी रिपोर्ट, पंचायती राज विभाग के प्रकाशन, शोध लेख, पुस्तके एवं पत्रिकाएँ।

मनरेगा और सामाजिक सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण समाज में सामूहिक भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित किया। श्री गंगानगर की पंचायत समितियों में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कार्य में प्राथमिकता दी गई। इससे सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया मजबूत हुई। पंचायत स्तर पर लिए गए निर्णयों में ग्रामीणों की आवाज़ शामिल होने लगी, जिससे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को गति मिली।

मनरेगा और आर्थिक सशक्तिकरण

इस योजना के तहत ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित हुआ। श्री गंगानगर जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र में यह अतिरिक्त आय का साधन बना। मजदूरी का सीधा भुगतान बैंक खातों में होने से आर्थिक पारदर्शिता व वित्तीय साक्षरता बढ़ी। इस योजना ने पलायन की प्रवृत्ति को कम किया और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया।

पंचायत समिति की भूमिका

लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से पंचायत समितियाँ मनरेगा की रीढ़ की हडडी हैं। श्री गंगानगर की पंचायत समितियों ने कार्यों का चयन, सामाजिक अंकेक्षण, और संसाधनों का प्रबंधन किया। इसने न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय नेतृत्व को भी उभरने का अवसर प्रदान किया।

चुनौतियाँ

1. कई बार कार्यों के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप।
2. मजदूरी भुगतान में देरी।
3. तकनीकी संसाधनों की कमी और योजनाओं का अधूरा क्रियान्वयन।
4. श्रमिकों में जागरूकता का अभाव।
5. समय पर मजदूरी भुगतान की समस्या।
6. कार्यस्थलों पर सुविधाओं की कमी।
7. तकनीकी कर्मचारियों की कमी।
8. कभी-कभी पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार या पक्षपात।
9. ग्रामीणों को योजना संबंधी सीमित जानकारी।

सुझाव

1. मजदूरी भुगतान को समयबद्ध करने हेतु डिजिटल प्रणाली को और मजबूत किया जाए।
2. कार्य चयन में ग्राम सभा की सहभागिता अनिवार्य हो।
3. तकनीकी प्रशिक्षण और संसाधनों का विकास किया जाए।
4. महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
5. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए।
6 डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाना।

7 पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण।

8. कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।

9. सामाजिक अंकेक्षण को और अधिक सक्रिय करना।

10 जलवायु अनुकूल कार्यों (जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण) को प्राथमिकता देना।

शोध की संभावनाएँ

भविष्य में यह शोध किया जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, महिला नेतृत्व के उत्थान, और पंचायत स्तर पर पारदर्शिता को किस हद तक बढ़ावा दिया है। साथ ही श्री गंगानगर की तुलना अन्य जिलों से कर योजना के तुलनात्मक परिणामों का अध्ययन भी किया जा सकता है।

श्री गंगानगर पंचायत समिति में मनरेगा का प्रभाव

आर्थिक सशक्तिकरण

मजदूरी दरों में वृद्धि से ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ी।
महिला श्रमिकों की सहभागिता से घरेलू आय में योगदान हुआ।
कृषि कार्य पर आश्रितता कम होकर वैकल्पिक रोजगार अवसर बने।

सामाजिक सशक्तिकरण

महिलाओं की ग्राम सभाओं और कार्यस्थलों पर उपस्थिति ने सामाजिक स्थिति बदली।
अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों की भागीदारी ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
पलायन पर रोक लगी जिससे पारिवारिक और सामुदायिक संबंध मजबूत हुए।

आधारभूत संरचना का विकास

कच्चे रास्तों, तालाबों, कुओं, चेकडैम और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण।
जल संरक्षण कार्यों से कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव।

लोक प्रशासनिक सुधार

ई-गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार में कमी।
सामाजिक अंकेक्षण से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित।
पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सशक्त हुई।

निष्कर्ष

इस प्रकार मनरेगा केवल एक रोजगार गारंटी योजना नहीं बल्कि 'ग्राम स्वराज, समावेशी विकास और जन सशक्तिकरण की प्रशासनिक प्रयोगशाला है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005, 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस अधिकार आधारित नीतिगत पहल का मूल लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के कल्याण के लिए गांवों में रोजगार प्रदान करना और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है. इसे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और सतत् विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में भी माना गया है। मनेरगा योजना को लागू हुए 17 साल हो गये हैं, परंतु इसने वह परिणाम नहीं दिखाया है जिसकी अपेक्षा की

गई थी। अधिकांश मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि खराब कार्यान्वयन के कारण यह योजना जमीनी स्तर पर ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके कार्यान्वयन में कई मुद्दे और चुनौतियां आ रही हैं। इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण में भूमिका, काम की मांग, कार्य स्थल और योजना की पहचान, कम सक्षम कर्मचारियों के साथ जटिल प्रशासनिक संरचना, भुगतान में देरी, मानव संसाधन की कमी. आदि। शोधार्थी ने इन्हीं कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा 2005) को 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 2009 से इस अधिनियम में संसोधन करके इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम दिया गया है। प्रथम वर्ष में इसके अंतर्गत 200 जिले शामिल किए गए थे। इसके बाद के वर्ष में इसमें अन्य 130 जिलों को भी शामिल किया गया था। अंततः इसके कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष अर्थात् 2008-09 में इसे 285 जिलों में लागू किया गया।

वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत समस्त जिलों की संख्या शामिल है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं. को एक वित्तिय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रावधान किया गया है। परिवार संबंधित राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी प्राप्त करने का आभारी होगा। ये मजदूरी दरे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।

महात्मा गांधी का कथन है 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज को स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु के रूप में देखा। गांधीजी का यह विचार ही ग्रामीण विकास की संकल्पना का आधार है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सामाजिक बदलाव और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से है। ग्रामीण विकास की अवधारणा देश के समग्र विकास के लक्ष्य की पूर्ति करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को लागू करना तथा आसान ऋण उपलब्ध करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत के गांवों का सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास करना है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक प्रमुख योजना है। ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा से परिचित करवाने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाली योजना है। प्रस्तुत शोध पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास है।

सार रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को स्वय बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार करना, ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण और प्रोत्साहन कर ग्रामीण विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना है।

संदर्भ सूची

1. डाथार जे.बी., बेटी एस.जी., कुशवाहा डी.एस., "भारतीय अर्थ व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1961
2. जैन डॉ. पी.सी., "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति, हिन्दी समिति सूचना विभाग, लखनऊ, 1966
3. मिश्र डॉ.एस.के., एवं पूरी वी. के. "भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
4. कुलश्रेष्ठ डॉ. आर.एस., "वित्तीय प्रबंध साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2003
5. देराथी सत्यदेव एवं नथू राम का लक्ष्मीनारायण, "भारतीय अर्थशास्त्र लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1970
6. कमलेश संतराम, 'छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2002
7. त्रिपाठी कौशलेन्द्र एवं चन्द्राकर पुरूषोत्तम, 'छत्तीसगढ़ का भूगोल, शारदा प्रकाशन, बिलासपुर, 2001

8. जैन डॉ.बी.एम., "रिसर्च मैथ्डॉलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2003

9. राय पारसनाथ, 'अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1989

10. सिन्हा वी.सी. एवं द्विवेदी आर.एस., 'अनुसंधान के तत्व, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1987

11. शर्मा, महेश, "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम", प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2010

12. मीणा, डॉ. जनक सिंह, ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2010

13. देवपुरा प्रतापमल, ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें, राधाकृष्णन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2006

14. सिंह, कतार, सिसोदिया अनिल, ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंध, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016

15. वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली